पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डीएन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 जनवरी, 2006 ई0 (माघ 08, 1927 शक सम्वत्) [संख्या–04

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... – ...	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	33–36	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	13–16	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल – ...	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल – ...	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां – ...	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

19 अक्टूबर, 2004 ई०

संख्या 1564/XXVIII(1)–2004–27/2003–तात्कालिक प्रभाव से उत्तरांचल (संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के भाग–2 नियम–5 के उपनियम 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय "भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तरांचल" का गठन निम्नानुसार करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परिषद् का कार्यकाल उक्त अधिनियम के भाग–2 की धारा 14 के अधीन अधिकतम 03 वर्ष होगा :–

(क) डा० पारस कुमार जैन, हरिद्वार	अध्यक्ष
(ख) पद्मश्री वैद्य श्री बालेन्दु प्रकाश (बी०ए०एम०एस०), देहरादून	सदस्य
(ग) डा० मायाराम उनियाल, (बी०ए०एम०एस०), (निदेशक, महर्षि आयुर्वेद, नोएडा), टिहरी गढ़वाल	सदस्य
(घ) डा० विनोद कुमार जोशी (एम०डी०) रसशास्त्र, हल्द्वानी	सदस्य
(ङ) डा० रतन लाल अरोड़ा (बी०एम०एम०एस०), रुद्रपुर	सदस्य
(च) डा० रघुनाथ जुयाल, अध्यक्ष, विश्व आयुर्वेद परिषद्, देहरादून	सदस्य

आज्ञा से,

एस० के० दास,
प्रमुख सचिव।

सचिवालय प्रशासन विभाग

कार्यालय–ज्ञाप

10 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 46/XXXI(1)/2005–62(2) 2004–उत्तरांचल सचिवालय में मुख्य लेखाकार के पद पर कार्यरत श्री जंग बहादुर सिंह पथनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर नियमित चयनोपरान्त प्रमुख लेखाकार के पद पर वेतनमान रु० 10,000–15,200 में अस्थाई रूप से प्रोन्नति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1–प्रमुख लेखाकार के पद पर श्री पथनी को एक वर्ष की विहित परिवीक्षा में रखा जाता है।

2–उक्त प्रोन्नति अस्थायी है और यदि भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शी समिति की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश के अन्य कर्मी उत्तरांचल राज्य को आवंटित होते हैं और तत्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तन/प्रत्याहर्तित किया जायेगा।

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

09 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 07/I/2006–02(3)15/2004–अधिसूचना संख्या 187/I/2005–02(3)/15/2004, दिनांक 10 जनवरी, 2005 द्वारा निर्गत अधिसूचना, जिसके द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166 (4) के अधीन गठित समन्वय मंच में अपर सचिव (ऊर्जा) को संयोजक के रूप में नामित किया गया था, को श्री राज्यपाल एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एन० रवि शंकर,
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 04 हिन्दी गजट/12–भाग 1–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 जनवरी, 2006 ई0 (माघ 08, 1927 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल

विज्ञप्ति

14 दिसम्बर, 2005 ई0

संख्या 166/XIV/89/प्रशा0 अनु0–अ/2003–श्री अब्दुल कयूम, सिविल जज (जे0डी0), काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर को दिनांक 28.11.2005 से 05.12.2005 तक 08 दिन का अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया गया।

15 दिसम्बर, 2005 ई0

संख्या 167/XIV/31/प्रशा0 अनु0–अ/2003–श्री राम सिंह, जिला जज, पिथौरागढ़ को दिनांक 28.11.2005 से 09.12.2005 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश पूर्व दिनांक 27.11.2005 रविवार का अवकाश एवं अवकाश के पश्चात् दिनांक 10.12.2005 एवं 11.12.2005 क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार के अवकाश को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत किया गया।

15 दिसम्बर, 2005 ई0

संख्या 168/XIV/54/प्रशा0 अनु0–अ/2003–श्री प्रेम सिंह खिमाल, सिविल जज (प्रवर खण्ड), हरिद्वार को दिनांक 21.11.2005 से 06.12.2005 तक 15 दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश के पूर्व दिनांक 20.11.2005 रविवार के अवकाश को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत किया गया।

17 दिसम्बर, 2005 ई0

संख्या 171/XIV/32/प्रशा0 अनु0–अ/2003–श्री रमेश चन्द्र कुकरेती, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट, देहरादून को दिनांक 24.11.2005 से 08.12.2005 तक 15 दिन का अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया गया।

21 दिसम्बर, 2005 ई0

संख्या 172/XIV/48/प्रशा0 अनु0–अ/2003–श्री यू0एस0 नबियाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को दिनांक 05.11.2005 से 09.12.2005 तक का 35 दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश पूर्व दिनांक 04.11.2005 ईद–उल–फितर का अवकाश एवं अवकाश के पश्चात् दिनांक 10.12.2005 व 11.12.2005 क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार अवकाश को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत किया गया।

22 दिसम्बर, 2005 ई०

संख्या 175/XIV/6/प्रशा0 अनु0–अ/2005–श्री दी0डी0 बहुगुणा, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुड़की, जिला हरिद्वार को दिनांक 07.11.2005 से 19.11.2005 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश पूर्व दिनांक 06.11.2005 रविवार का अवकाश एवं अवकाश के पश्चात् दिनांक 20.11.2005 रविवार के अवकाश को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत किया गया।

03 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 184/XIV/88/प्रशा0 अनु0–अ/2003–श्री नसीम अहमद, सिविल जज (अवर खण्ड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल को दिनांक 05.12.2005 से 20.12.2005 तक 16 दिन का अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया गया।

03 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 185/XIV/61/प्रशा0 अनु0–अ/2003–श्री सुबीर कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुड़की, जिला हरिद्वार को दिनांक 08.12.2005 से 17.12.2005 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश पश्चात् दिनांक 18.12.2005 रविवार के अवकाश को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत किया गया।

03 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 188/XIV/2/प्रशा0 अनु0–अ/2003–श्री आर0 एल0 शाह, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा को दिनांक 16.11.2005 से 30.11.2005 तक 15 दिन का अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया गया।

04 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 187/XIV/45/प्रशा0 अनु0–अ/2003–श्री राजेन्द्र सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल को दिनांक 08.12.2005 से 23.12.2005 तक 16 दिन का अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया गया।

06 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 189/XIV/95/प्रशा0 अनु0–अ/2003–कु0 कुसुम, द्वितीय अपर सिविल जज (अवर खण्ड), हरिद्वार को निम्न अवधियों का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया गयाः–

1–दिनांक 02.09.2005 से 25.09.2005 तक 24 दिन।

2–दिनांक 17.10.2005 से 06.11.2005 तक 21 दिन।

3–दिनांक 05.12.2005 से 15.12.2005 तक 11 दिन।

06 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 190/XIV/64/प्रशा0 अनु0–अ/2003–कु0 सुजाता सिंह, सिविल जज (जे0डी0), रुड़की को दिनांक 30.11.2005 से 20.12.2005 तक 21 दिन का चिकित्सा अवकाश, स्वीकृत किया गया।

06 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 191/XIV/42/प्रशा0 अनु0–अ/2003–श्री कान्ता प्रसाद, अपर जिला जज/प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट, रुड़की को दिनांक 03.12.2005 से 17.12.2005 तक 15 दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश पश्चात् दिनांक 18.12.2005 के रविवार को सम्मिलित करते हुए, स्वीकृत किया गया।

06 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 192/XIV/34/प्रशा0 अनु0–अ/2003–श्री कँवर सैन, अतिरिक्त जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, अल्मोड़ा को दिनांक 03.11.2005 से 05.11.2005 तक 03 दिन का अर्जित अवकाश, अवकाश पूर्व दिनांक 01.11.2005 एवं 02.11.2005 दीपावली का अवकाश एवं अवकाश के पश्चात् दिनांक 06.11.2005 रविवार के अवकाश को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत किया गया।

न्यायालय की आज्ञा से,

रवीन्द्र भैठाणी,
अपर निबन्धक।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तरांचल

(फार्म अनुभाग)

विज्ञप्ति

15 दिसम्बर, 2005 ई0

पत्रांक 3289/फार्म अनु0–2004–2005/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए–उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 (यथा उत्तरांचल में लागू) के नियम–85 के उपनियम (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं, आयुक्त कर, उत्तरांचल, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–85 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए आयात घोषणा–पत्रों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए आयात घोषणा–पत्रों के क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री शाहनाज आयुर्वेदिक, लाखा रोड, विकास नगर, देहरादून	01 आ0 घो0–पत्र	UMD–049762

विज्ञप्ति

13 जनवरी, 2006 ई0

पत्रांक 3633/फार्म अनु0–2004–2005/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए–उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 (यथा उत्तरांचल में लागू) के नियम–85 के उपनियम (12) सहपठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005, नियम 31(8) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं, आयुक्त कर, उत्तरांचल, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित फार्म सी जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–85 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्म सी की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्म सी का क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री सूर्या रोशनी लि0, काशीपुर	02 फार्म सी	UA-214022, 214023
2.	सर्वश्री मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, बाजपुर	01 फार्म सी	UA-0148483

विज्ञप्ति

13 जनवरी, 2006 ई0

पत्रांक 3634/फार्म अनु0–2005–2006/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए–उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के नियम–85 के उपनियम (12) सहपठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005, नियम 31(8) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं, आयुक्त कर, उत्तरांचल, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–85 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र०स०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए आयात घोषणा/फार्म–3 ख की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए आयात घोषणा–पत्रों/फार्म–3 ख के क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री इण्डिया ब्रिक फिल्ड, खटीमा	01 आ०घो०–पत्र	UMC–266008
2.	सर्वश्री अग्रवाल किराना, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी	01 आ०घो०–पत्र	UTC–405846
3.	सर्वश्री तोरन फार्मेस्युटिकल, जसपुर	01 आ०घो०–पत्र	UTC–222307
4.	सर्वश्री इस्टर इण्ड० लि०, खटीमा	02 फार्म–3ख	395233 व 395252

बी०पी० पाण्डे,
आयुक्त कर, उत्तरांचल, देहरादून।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 04 हिन्दी गजट/12–भाग 1–क–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।